

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 216/2026

मनोज कुमारयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: संजय मौर्या

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:- "एक रिट आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपील (संख्या 0366/2025 कंप्यूटर वाद संख्या 20255453100000366; मनोज कुमार एवं अन्य बनाम श्रीमती लालती देवी) जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 11(1) के तहत दायर की गई है, को इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्धारित समय के भीतर विचार करने और तय करने का आदेश दिया जाए।"
3. यह तर्क दिया गया है कि यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 11(1) के तहत अपील दिनांक 20.05.2025 से विचाराधीन लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि अपील में विपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और वाद अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त वाद को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निर्देश देता है कि वे उपर्युक्त वाद को कड़ाई से कानून के अनुसार, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दस महीने की अवधि के भीतर तय करें।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

वी.आर.